



स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) परीक्षा, 2017

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 09.02.2017

आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि: 13.02.2017

विशेष सूचना :- (क) "बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गई धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।" (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित काल में अपना मोबाइल नं० देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एस एम एस द्वारा भेजे जायेंगे।

आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु 'आन-लाइन' आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

1- आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं :-

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें "आन-लाइन आवेदन पद्धति" लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु "Apply" पर Click करें।

"आन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम स्तर- Apply click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्शन के साथ 'Fee to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् "Payment Acknowledgement Receipt (PAR)" प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर 'फार्मेट' प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन "Submit" करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. आवेदन शुल्क:- आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:-

1. अनारक्षित (सामान्य)	- परीक्षा शुल्क ₹ 100 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-	योग = ₹ 125 /-
2. अन्य पिछड़ा वर्ग	- परीक्षा शुल्क ₹ 100 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-	योग = ₹ 125 /-
3. अनुसूचित जाति	- परीक्षा शुल्क ₹ 40 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-	योग = ₹ 65 /-
4. अनुसूचित जनजाति	- परीक्षा शुल्क ₹ 40 /- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-	योग = ₹ 65 /-
5. विकलांग श्रेणी	- परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 /-	योग = ₹ 25 /-
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	- क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार	
7. भूतपूर्व सैनिक	- क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार	
8. महिला	- क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार	

4. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ.प्र. लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने / प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथि तक वे दूसरा आन-लाइन आवेदन, संशोधित सूचना के साथ, 'आन-लाइन' Submit कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर के आवेदन पत्र जिसके आधार पर प्रवेश पत्र निर्गत होगा एवं परीक्षा में सम्मिलित होगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।

6. उ०प्र० लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स (पुरुष/महिला) के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रकारक) का आयोजन करेगा। चयन

उक्त परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों एवं उ०प्र० अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 15 (3)(ख) में प्राविधानित अतिरिक्त अंको के कुल योग के आधार पर श्रेष्ठता (Merit) के अनुसार होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अन्तिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जिला / केंद्रों की संख्या घटाई / बढ़ाई जा सकती है।

7. रिक्तियों की संख्या:- वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उ०प्र० तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत स्टाफ नर्स (पुरुष) पद की कुल रिक्तियाँ 448 तथा स्टाफ नर्स (महिला) पद की कुल रिक्तियाँ 3390 हैं। पद:- अस्थाई किन्तु चलते रहने की सम्भावना अराजपत्रित, समूह "ख" वेतनमान रुपये 9300 - 34800 /- ग्रेड पे रु 4600 /-।

नोट:- शासन/विभाग के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

8. आरक्षण: उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/उ०प्र० की अनुसूचित जन जातियों/उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार शैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा-उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ०प्र० की महिला अभ्यर्थियों तथा उ०प्र० के विकलांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा। उ०प्र० के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमत्य होगा।

नोट:- (1) आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ०प्र० के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पीएच तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्त:- (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976 -कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :- (अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अप्पडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यदि (क) उस सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो। आवेदन पत्र Submit करने की अन्तिम तिथि तक पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है।

10. वैवाहिक प्रास्थिति:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

11. शैक्षिक अर्हता:- (1) स्टाफ नर्स (महिला) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक (बी०एस०सी०) उपाधि हो।

(तीन) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र हो।

(2) स्टाफ नर्स (पुरुष) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास- (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इण्टरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(दो) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक (बी०एस०सी०) उपाधि हो।

(तीन) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य साईकियाट्री का डिप्लोमा हो।

(चार) उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और साईकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र हो।

(3) चयन एक सौ अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:- (क) लिखित परीक्षा पच्चासी अंको की होगी।

(ख) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम पन्द्रह अंको के अध्येधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किये जायेंगे:-

(एक) संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम वर्ष के लिए _____ तीन अंक
(दो) संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए _____ तीन अंक प्रति वर्ष के लिए।

इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इस प्रयोजन हेतु एक प्रारूप इस विज्ञापन के परिशिष्ट-6 में उपलब्ध है।

(ग) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को, जहां लागू हो, खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त अंको के साथ जोड़ दिया जायेगा।

नोट: आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।

12. आयु सीमा:- (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2017 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1996 के बाद का नहीं होना चाहिए। विकलांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1962 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट :- (क) उ०प्र० के अनुसूचित जाति, उ०प्र० के अनुसूचित जन जाति, उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ०प्र० के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। यह छूट केवल उ०प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमत्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1972 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षागण्टेर कर्मचारियों को उ०प्र० राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या- 1648 / 79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी। उ०प्र० राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या- 1508 / 15-08-2015-3057 / 2015, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष छूट अनुमत्य होगी। (ख) उ०प्र० के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। (ग) उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह 'ख' हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमत्य नहीं है।

13. परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें:- (i) विभिन्न पदों के लिए अधिमान्यताएं अभ्यर्थियों से यथा समय मांगी जायेंगी, जो अन्तिम होंगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। (ii) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच अन्तिम परिणाम घोषित होने के बाद होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को आयोग की अपेक्षानुसार यथा समय पृथक से एक आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा, जिसके साथ आन - लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्तानुसार आन-लाइन दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन

<p>निरस्त कर दिया जायेगा।</p> <p>14. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः- (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन अनुमत्त नहीं है। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। (3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (4) परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (5) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा संशोधित सपठित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमत्त होगा। (6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। (7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। (8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (9) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (10) आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (11) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। (12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (14) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (15) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (16) उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही सही सूचनाएं काले बाल प्वाइंट पेन से भरी जायें। उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को क्लाइटर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।</p> <p style="text-align: center;">सामान्य अनुदेश</p> <p>1- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।</p> <p>2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों, कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य के कर्मचारियों/शिक्षकों आदि को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमत्त नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति/निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।</p> <p>4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और तभी आवेदन करें जब सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।</p> <p>5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियों (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.1.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या 3014 कार्मिक-2-1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या-6/1972 कार्मिक-2-1982 दिनांक 15.1.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।</p> <p>6- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।</p> <p>7- यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।</p> <p>8- फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 पर, परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों का नमूना परिशिष्ट-3 पर उल्लिखित है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना एवं परीक्षा पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट-4 व परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है तथा संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।</p> <p style="text-align: center;">Detailed Application Form</p> <p>At the top of the page there is a Declaration. The candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option either to agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's On-line Application.</p> <p>Notification Details:</p> <p>This section shows information relevant to notification.</p> <p>Personal Details:</p> <p>This section shows information about candidate's personal details i.e. Registration Number, Candidate's Name, Father/Husband's Name, Gender, Date of Birth, UP domicile, Category, Marital Status, Email-ID and Contact Number.</p>	<p>Other Details of Candidate</p> <p>Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical deformity.</p> <p>Education & Experience Details</p> <p>It shows your educational and experience details of the candidate.</p> <p>Candidate Address, Photo & Signature details</p> <p>It shows communication address and photo with signature of the candidate.</p> <p>Declaration Segment</p> <p>At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.</p> <p>After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.</p> <p>Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.</p> <p>Otherwise using "Back" button the details can be modified.</p> <p>(CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "PRINT" OPTION AVAILABLE)</p> <p>For Other Information:</p> <p>For other information candidates are advised to select desired Option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in in CANDIDATE SEGMENT.</p> <p style="text-align: center;">CANDIDATE SEGMENT</p> <p>:- NOTIFICATIONS/ADVTS.</p> <p>All Notification / Advertisements</p> <p>:- ONLINE FORM SUBMISSION</p> <p>1. Candidate Registration (First Stage)</p> <p>2. Generate E-Challan/I-Collect (Second Stage)</p> <p>3. Submit Application Form (Third Stage)</p> <p>:- APPLICATION FORM STATUS</p> <p>View Application Status</p> <p>List of Applications Having photo related Objections</p> <p>Print Duplicate Registration Slip</p> <p>Print Detailed Application Form</p> <p>Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]</p> <p>:- EXAMINATION SEGMENT</p> <p>Print Conventional Form and Address Slip (New)</p> <p>:- DOWNLOAD SEGMENT</p> <p>Download Admit Card for RO/ARO Typing Test (New)</p> <p>Download Syllabus</p> <p>Know your Registration No.</p> <p>Click here to view Key Answer Sheet</p> <p>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to advertisement, after which the Web. Link will be disabled.</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट - 1</p> <p>The Procedure relating to upload Photo & Signature:- Guide Lines for Scanning Photograph with Signature</p> <ol style="list-style-type: none"> Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning. The application has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identify, it must be genuine and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. The signature must be signed only by the application and not by any other person. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. <p>Sample Image & Signature:-</p>  <p style="text-align: center;">परिशिष्ट - 2</p> <p>जिन नगरों में परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं:-</p> <p>इलाहाबाद तथा लखनऊ।</p>
--	--

परिशिष्ट - 3

उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....पूरा नाम.....
मुहर.....पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(प्ररूप-1)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आछादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....पूरा नाम.....
मुहर.....पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

प्ररूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम).....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय.....में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र.....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
पता.....
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्ररूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्त के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवास (पूरा नाम).....विश्वविद्यालय की कक्षा.....के विद्यार्थी ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय.....(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद.....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....

प्ररूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाररेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवास (पूरा नाम).....में.....स्कूल में कक्षा.....के विद्यार्थी ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की.....(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाररेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
Certificate No..... Date

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt Kum.....son/wife/daughter of Shri.....age.....sex.....identification mark (S).....is suffering from permanent disability of following category:

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
(a) Impaired reach (b) Weakness of grip (c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)
(vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind
(ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf
(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of..... year..... months.

3. Percentage of disability in his/her case is.....percent.

4. Sh./Smt./Kum.....meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with figers.	Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling and pushing.	Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting.	Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.	Yes/No
(v) B-can perform work by bending	Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting.	Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing.	Yes/No
(viii) W-can perform work by walking	Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing.	Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking.	Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing.	Yes/No

(Dr.) (Dr.) (Dr.)

Member Member Chairperson
Medical Board Medical Board Medical Board
Countersigned by the
Medical Superintendent/CMO/HQ
Hospital (with seal)

* Strike out which is not applicable.

परिशिष्ट - 4

परीक्षा योजना

1. सामान्य ज्ञान	-	30 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
2. सामान्य हिन्दी	-	20 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
3. मुख्य विषय नर्सिंग	-	120 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ प्रकारक)
कुल प्रश्न	-	170 प्रश्न
परीक्षा अवधि (समय)	-	02 घण्टे (120 मिनट)
पूर्णांक	-	85 अंक

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनदेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम).....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए **प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी.....पूरा पता.....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....(स्थान का नाम) में आयोजित.....(क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).....में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....हस्ताक्षर.....
दिनांक.....नाम.....
पद.....
संस्था का नाम.....
मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट - 5

परीक्षा पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम

(1) **भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन:-** भारतीय इतिहास के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के सम्बन्ध में सारपरक जानकारी अपेक्षित है।

(2) **भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल:-** भारत के भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी।

(3) **भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं अधिकारिक मुद्दे आदि:-** भारतीय राजनीति एवं शासन के अन्तर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

(4) **भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास:-** अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण से सम्बन्धित समस्याओं एवं पारस्परिक सम्बन्ध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा।

(5) **राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की सामयिक घटनाएँ:-** इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

(6) **भारतीय कृषि:-** भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उसके विपणन के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी।

Cont..

<p>(7) सामान्य विज्ञान:- सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।</p> <p>(8) प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक:- अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित।</p> <p>अभ्युक्ति:- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।</p> <p style="text-align: center;">सामान्य हिन्दी</p> <p>(1) विलोम (2) वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि (3) अनेक शब्दों के एक शब्द (4) तत्सम एवं तद्भव शब्द (5) विशेष्य और विशेषण (6) पर्यायवाची शब्द</p> <p style="text-align: center;">नर्सिंग</p> <p>1. एनाटॉमी और फिजियोलॉजी:- कंकाल तंत्र, मांसपेशी प्रणाली, हृदय-रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तांत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और इन्द्रियाँ।</p> <p>2. नर्सिंग की बुनियादी बातें:- एक पेशे के रूप में नर्सिंग, चिकित्सीय वातावरण का रख-रखाव, नर्सिंग प्रक्रिया व नर्सिंग सेवा-सुश्रुषा योजना, नर्सिंग केयर प्लान, एक मरीज को भर्ती करना और अस्पताल से छुट्टी करना, मरणासन्न रोगी, आरोग्य विषयक आवश्यकतायें एवं शरीर क्रिया विषयक आवश्यकतायें, गतिविधि और व्यायाम, सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें, उत्सर्जन विषयक आवश्यकतायें एवं विशेष परिस्थितियों में देख रेख, पोषण सम्बन्धी जरूरत की पूर्ति, रोगी का अवलोकन, उपकरणों की देखभाल, संक्रमण रोधी परिचर्या, दवाइयाँ देना, रिकार्डिंग और रिपोर्टिंग।</p> <p>3. प्राथमिक चिकित्सा:- प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ एवं नियम।</p> <p>आपात स्थिति जैसे:- आग, भूकम्प, अकाल, अस्थि भंग, दुर्घटनाओं, विषाक्तता, डूबना रक्त स्राव होना, कीड़े का काटना, फारेन बाडी। घायल का स्थानान्तरण, पट्टी बांधने और खपच्ची बांधना, नसों की तत्काल एवं बाद में भूमिका।</p> <p>4. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग:- मेडिकल एवं सर्जिकल चिकित्सा की स्थापना (सेटिंग) में नर्स की भूमिका एवं जिम्मेदारी। सर्जिकल रोगी की देखभाल, एनेस्थेसिया (निश्चेतना)। हृदय रक्त संचार तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र एवं मूत्र प्रणाली, तंत्रिका तंत्र के रोग। श्वसन तंत्र, मांस-पेशी, हाड पिंजर प्रणाली के विकार और रोग। रक्त विकार और रक्त ट्रांसफ्यूजन (चढ़ना) अंतः स्रावी तंत्र, मेटाबोलिक सम्बन्धी विकार एवं कमी से होने वाली बीमारियाँ व स्राव की अधिकता और अल्पता, गॉठ/ट्यूमर, मधुमेह, मोटापा, गठिया। त्वचा, कान, नाक एवं गले के रोग। आँख के विकार और रोग, सघन चिकित्सा नर्सिंग, सामान्य कमियों के कारण होने वाले रोग, भारत में पाए जाने वाले, प्रारम्भिक लक्षण, रोकथाम एवं उपचार।</p> <p>संचारी रोग:- वायरस, बैक्टीरिया, जूनोसेस और मच्छर।</p> <p>5. मनोरोग नर्सिंग:- परिचय, सामुदायिक जिम्मेदारी, निदान, प्रबन्धन एवं नर्स की भूमिका।</p> <p>6. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग:- संकल्पना, सामुदायिक स्वास्थ्य की परिभाषा, संस्थागत और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में अन्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषताएँ एवं कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य, नर्सिंग के पहलू, जनसांख्यिकी और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य टीम: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) तथा उपकेन्द्र की संरचना। विभिन्न स्तरों पर नर्सिंग कार्मिकों की भूमिका: पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स सुपरवाइजर, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सांख्यिकी, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संचार कौशल।</p> <p>7. मिडवाइफरी एण्ड गाइनकोलोजिकल नर्सिंग:- प्रस्तावना और परिभाषा, सामान्य गर्भधारण, प्रसव-पूर्व देखभाल, गर्भावस्था में आहार से संबंधित सलाह एवं देखभाल, प्रसव पूर्व व्यायाम, गर्भावस्था के सूक्ष्म विकार और असुविधा को दूर करना, गर्भावस्था से सम्बन्धित रोग। सामान्य प्रसव की तैयारी: प्रसव का प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। जन्म व शिशु के लिए नर्सिंग प्रबन्धन, माता के सूतिकावस्था के दौरान प्रबन्धन, गर्भावस्था की जटिलतायें और उसके प्रबन्धन, उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था और उसके प्रबन्धन, प्रसूति</p>	<p>जटिलताएँ, सूतिकावस्था सम्बन्धित जटिलताएँ व प्रबंधन, प्रसव शल्य क्रिया, प्रसूति में औषधि का इस्तेमाल, दाई और स्त्री रोग नर्सिंग से सम्बन्धित नैतिक और कानूनी पहलू, प्रजनन और बाँझपन, स्तन एवं महिला प्रजनन प्रणाली के रोग एवं विकार।</p> <p>8. बाल नर्सिंग:- बाल स्वास्थ्य देखभाल और बच्चे की देखभाल में बाल नर्स की भूमिका एवं संकल्पना, स्वस्थ बच्चा, शिशु, शिशुओं के विकार, मान्यता और जन्मजात विसंगतियों का प्रबन्धन, स्तनपान, ठोस आहार, प्रसव शल्य क्रिया के पूर्व व बाद की देखरेख, नवजात बच्चे की शल्य चिकित्सा के लिए माता-पिता की तैयारी, बाल रोग: कारण, चिन्ह एवं लक्षण, मेडिकल और सर्जिकल प्रबन्धन, नर्सिंग देखभाल, जटिलता, आहार और ड्रग थेरेपी, रोग सम्बन्धित रोकथाम और उपचार, बचाव एवं चिकित्सा- पाचन तंत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, जनन-मूत्र प्रणाली, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र, तांत्रिका तंत्र, आँख और कान, पोषण सम्बन्धी विकार, संचारी रोग, रक्त विकार, अंतः स्राव विकार, बाल्य स्वास्थ्य आपात स्थिति, मानसिक विकार समस्यायें और विकलांग शिशु।</p> <p>9. व्यावसायिक रूझान एवं समायोजन- परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदण्ड:- परिभाषा और नर्सिंग पेशे के मानदण्ड, एक पेशेवर नर्स के गुण, व्यक्तिगत पेशेवर विकास और नर्सिंग में कैरियर, व्यवसायिक और सम्बन्धित संगठन: अन्तर्राष्ट्रीय कॉसिल ऑफ नर्स (आई0सी0एन0), भारतीय नर्सिंग परिषद (आई0एन0सी0), स्टेट नर्सिंग परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, ट्रेन्ड नर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (टी0एन0ए0आई0), रेडक्रास, नर्सिंग में कानून।</p> <p>10. माइक्रोबायोलोजी:- नर्सिंग में माइक्रोबायोलोजी के ज्ञान की उपयोगिता एवं सम्भावनायें, महत्व, माइक्रोबायोलोजी का वर्गीकरण, संक्रमण विकास को प्रभावित करने वाले कारक, संक्रमण के स्रोत, सूक्ष्म जीवों के प्रवेश और निकास का द्वार, संक्रमण का संचरण, नमूना संग्रहण करना और नमूना संग्रहण करते समय दिमाग में रखे जाने वाला सिद्धान्त, रोग क्षमता, नियंत्रण एवं सूक्ष्म जीवों का विनाश।</p> <p>11. मनोविज्ञान:- परिभाषा, नसों के लिये महत्व एवं अवसर, मानव व्यवहार का मनोविज्ञान:- भावनायें, रूख, कुण्ठा और सुरक्षा तंत्र, व्यक्तित्व, खुफिया और सम्बन्धित कारक, सीखना एवं अवलोकन।</p> <p>12. समाज शास्त्र:- नर्सिंग में समाजशास्त्र का महत्व, समुदाय का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहलुओं का स्वास्थ्य एवं बीमारी पर उनका प्रभाव, परिवार:- सामाजिक संस्था और स्वास्थ्य सेवा के लिये परिवार एक बुनियादी इकाई, परिवार की बुनियादी आवश्यकतायें, योजनाबद्ध पैरेंटहुड के लाभ, समाज:- समाज की अवधारणा, ग्रामीण एवं शहरी समाज, सामाजिक समस्यायें, अविवाहित मातायें, दहेज प्रथा, नशाखोरी, मद्यपान, किशोर अपराधवृत्ति, विकलांग, बाल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सामाजिक संस्थायें एवं उपचारात्मक उपाय। अर्थव्यवस्था:- देश के संसाधन- प्राकृतिक, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक आदि, सामाजिक सुरक्षा: जनसंख्या विस्फोट- अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और जनसंख्या नियंत्रण के लिये आवश्यकतायें, पारिवारिक बजट, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य एवं बीमारी पर इसका प्रभाव।</p> <p>13. व्यक्तिगत स्वच्छता:- स्वास्थ्य की देखभाल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य।</p> <p>14. पर्यावरण स्वच्छता:- जल:- सुरक्षित एवं शुद्ध जल, जल का उपयोग, जल प्रदूषण, जल जनित रोग, जल का शुद्धिकरण। वायु: वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बचाव एवं रोकथाम। वेस्ट: मलमूत्र, सीवेज, सेहत को खतरा, कूड़ा करकट, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वेस्टेज को हटाने एवं उसका निस्तारण। आवासीय:- शोर।</p> <p>15. नर्सिंग में कम्प्यूटर:- डिस्क आपरेटिंग प्रणाली, कम्प्यूटर की नर्सिंग में उपयोगिता, इण्टरनेट और ईमेल।</p>
	<p>परिशिष्ट - 6</p> <p>30प्र0 अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम-15 (3) (ख) के परिप्रेक्ष्य में स्टाफ नर्स के रूप में संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र का प्रारूप:</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती:.....</p> <p>पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जन्म तिथि.....</p> <p>स्थायी निवासी.....</p> <p>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, 30प्र0 में संविदा के आधार पर दिनांक.....</p> <p>से स्टाफ नर्स वेतन रू0 के पद पर कार्यरत है।</p> <p>स्थान-</p> <p>दिनांक-</p> <p style="text-align: right;">ह0/- नियुक्ति प्राधिकारी</p> <p style="text-align: right;">पदनाम</p> <p style="text-align: right;">मुहर</p>
	सचिव